

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी—  
राजस्व वाद संख्या : 180/2019

पंकज शर्मा, आर.ए.एस.  
जीसीएमएस वाद संख्या : 2019/00939

1. लीलाघर
2. मातादीन पुत्रान गोविन्द जाति ब्राहमण निवासी कुठानिया तह0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
3. रामकोरी पत्नी गोविन्द जाति ब्राहमण निवासी कुठानिया तह0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0

.....वादीगण

बनाम

1. परमेश्वरी पत्नी मोहन जाति ब्राहमण निवासी कुठानिया तह0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
2. देवकरण दत्तक पुत्र मोहन जाति ब्राहमण निवासी कुठानिया तह0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
3. बनारसी पत्नी नौरंग जाति ब्राहमण निवासी कुठानिया तह0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
4. शान्ति देवी पत्नी पुरणमल
5. राजेश कुमार पुत्र सज्जन कुमार
6. देवकरण पुत्र नौरंग
7. महेन्द्र पुत्र नौरंग
8. बाबुलाल पुत्र गोविन्द
9. शम्भुदयाल पुत्र पुरणमल
10. सुभाषचन्द पुत्र पुरणमल
11. चन्दगीराम पुत्र पुरणमल
12. विष्णु पुत्र रघुवीर प्रसाद
13. दिनेश कुमार पुत्र रघुवीर प्रसाद
14. प्रमोद कुमार पुत्र रघुवीर प्रसाद
15. ललीता पुत्री रघुवीर प्रसाद
16. किरण पुत्री रघुवीर प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी कुठानिया तह0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0



17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तह0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0

.....प्रतिवादीगण

दावा खाता विभाजन

--:निर्णय:--

दिनांक :- 5/12/24

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:-

1. कि ग्राम कुठानिया तह0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता सं0 70 के ख0 न0 420 रकबा 0.53 है0 ख0 न0 422 रकबा 0.11 है0 ख0 न0 441 रकबा 0.47 है0 ख0 न0 442 रकबा 0.47 है0 ख0 न0 443 रकबा 0.97 है0 ख0 न0 78 रकबा 0.38 है0 ख0 न0 79 रकबा 0.41 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.34 है0 में वादीगण व प्रतिवादीगण दर्ज रिकार्ड है।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा बाहमी बटवारा कर रखा है व अपने अपने हिस्से पर कब्जा कास्त है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खातेदारी में दर्ज है
3. यह कि खातेदारान सन्तोष पत्नी रघुवीर प्रसाद व मुकेश कुमार पुत्र रघुवीर प्रसाद विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 17 दर्ज रिकार्ड है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:-

(क) कि ग्राम कुठानिया तह0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता सं0 70 के ख0 न0 420 रकबा 0.53 है0 ख0 न0 422 रकबा 0.11 है0 ख0 न0 441 रकबा 0.47 है0 ख0 न0 442 रकबा 0.47 है0 ख0 न0 443 रकबा 0.97 है0 ख0 न0 78 रकबा 0.38 है0 ख0 न0 79 रकबा 0.41 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.34 है0 में वादीगण का 3/9 भाग का कब्जा कास्त के अनुसार खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तथा अलग से लगान कायम किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व 9 से 11 की ओर से श्री राधाकृष्ण शर्मा एडवोकेट वकालतानामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से विद्या देवी एडवोकेट ने वकालतानामा पेश किया गया इन्होंने जबाव पेश नहीं करने हेतु जाहिर किया। प्रतिवादी संख्या 7, 12 लगायत 16 की बावजूद सम्यक तामिल के अनुपरिस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व 9 से 11 की ओर से जबाव पेश करने हेतु काफी अवसर प्रदान किये गये जबाव पेश नहीं हुआ अतः इनका जबाव बन्द किया गया। प्रकरण खाता विभाजन का है। खाता विभाजन कास्तकार का कास्तकारी अधिकार है। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.09.2022 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 3444 दिनांक 14.12.2023 के द्वारा भिजवाया गया।

401  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
जिला झुंझुनू (राज.)

तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1183 दिनांक 29.05.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नहीं किया है।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075-2078 वाके ग्राम कुठानिया स्थित भूमि हाल खाता संख्या 70 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काशत अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—: आदेश :-

“ न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 का खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके कि ग्राम कुठानिया तह0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता सं0 70 के ख0न0 420 रकबा 0.53है0 ख0न0 422 रकबा 0.11है0 ख0न0 441 रकबा 0.47है0 ख0न0 442 रकबा 0.47है0 ख0न0 443 रकबा 0.97है0 ख0न0 78 रकबा 0.38 है0 ख0न0 79 रकबा 0.41है0 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 3.34है0 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-3” व नक्शा प्रदर्श “ब” के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-3” व नक्शा प्रदर्श “ब” के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव “अ-1 लगायत अ-3” व नक्शा प्रदर्श “ब” इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काशतकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ”



41  
 (पंकज शर्मा)  
 उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 जिला झुंझुनू (राज.)  
 पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक-5/12/24-----को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

41  
 (पंकज शर्मा)  
 उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 जिला झुंझुनू (राज.)  
 पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

मूल वाद में अंतिम डिक्री  
 (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी—  
 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)  
 पंकज शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं:—180/2019

जीसीएमएस वाद संख्या : 2019/00939

लीलाधर आदि बनाम परमेश्वरी आदि

दावा खाता विभाजन

वादी की ओर से श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट की उपस्थिति में व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व 9 से 11 की ओर से श्री राधाकृष्ण शर्मा एडवोकेट की उपस्थिति में तथा शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को श्री पंकज शर्मा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि —

“ न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 का खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके कि ग्राम कुठानिया तह0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता सं0 70 के ख0न0 420 रकबा 0.53है0 ख0न0 422 रकबा 0.11है0 ख0न0 441 रकबा 0.47है0 ख0न0 442 रकबा 0.47है0 ख0न0 443 रकबा 0.97है0 ख0न0 78 रकबा 0.38 है0 ख0न0 79 रकबा 0.41है0 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 3.34है0 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-3” व नक्शा प्रदर्श “ब” के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-3” व नक्शा प्रदर्श “ब” के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव “अ-1 लगायत अ-3” व नक्शा प्रदर्श “ब” इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 5/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

५१

(पंकज शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

पदेन न्यायाधीश (राज.), बुहाना

